HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Cross Objection (Civil) No. 31/2024

In

S.B. Civil Misc. Appeal No. 4710/2018

Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Saharanpur Depot, Saharanpur, U.P. through Regional Manager (Registered Owner Bus No. UP-11-T-6010)

----Appellant/Non-Claimant/Non Cross Objector

Versus

1. Smt. Alka Mishra W/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 58 Years,
2. Deepshikha D/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 33 Years,
3. Harsha D/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 23 Years,
4. Isha D/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 26 Years,

   R/o 36, Surya Nagar, Delhi Road, Saharanpur, U.P. At Present B-63, Rail Nagar, Near Indo Bharat School, Nirman Nagar, P.S. Shyam Nagar, Jaipur.

----Claimants/Respondents/Cross Objectors

5. Sanjay Kumar Solanki S/o Shri Mehar Singh, R/o Village Nangla Maal, Post Mau Khas, Meerut, UP & Village Bandenamaan, Police Station Bhawan, District Shamli, U.P. (Driver of Bus No. UP-11-T-6010)

----Non-Claimant/Respondent/Non Cross Objector

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4710/2018

Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Saharanpur Depot, Saharanpur, U.P. Through Regional Manager (Registered Owner Bus No. UP-11-T-6010)

----Appellant/Non-Claimant

Versus

1. Smt. Alka Mishra W/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 58 Years,
2. Deepshikha D/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 33 Years,

3. Harsha D/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 23 Years,

4. Isha D/o Late Shri Rajendra Prasad Mishra, Aged About 26 Years,
R/o-36, Surya Nagar, Delhi Road, Saharanpur, U.P. At Present -B63, Rail Nagar, Near Indo Bharat School, Nirman Nagar, PS-Shyam Nagar, Jaipur

----Claimants/Respondents

5. Sanjay Kumar Solanki S/o Shri Mehar Singh, R/o Village - Nangla Maal, Post - Mau Khas, Meerut, UP & Village-Bandenamaan, Police Station - Bhawan, District- Shamli, U.P. (Driver Bus No. UP-11-T-6010)

----Non-Claimant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhanu Prakash, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ashish Kumar Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

13/11/2025

1. अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से यह अपील धारा—173 मोटर वाहन अधिनियम—1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, संख्या—1, जयपुर महानगर, जयपुर (जिसे आगे 'अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या—1161/2014, श्रीमती अलका मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है तथा दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट्स की ओर से क्रॉस ऑब्जेक्शन (प्रत्याक्षेप) संख्या—31/2024, अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संस्थित की गयी अपील के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिनका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से इस एक निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

RAJASTHAN HIGH COURT

2. अपीलार्थीगण द्वारा अधिकरण के समक्ष, मृतक राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप कुल 2,21,43,790/— रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी।

3. इससे पूर्व विद्वान अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2015 के जरिये दावाकर्तागण को दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि से व्यथित होकर अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अल्का मिश्रा व अन्य के विरुद्ध एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या—939/2016 तथा दावाकर्तागण द्वारा अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम के विरुद्ध एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या—1453/2016 इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी। उक्त दोनों दीवानी विविध अपीलों का दिनांक 26.09.2016 को इस न्यायालय द्वारा निस्तारण करते हुए उक्त दोनों अपील अंशतः स्वीकार कर पत्रावली इस आदेश के साथ विद्वान अधिकरण को प्रतिप्रेषित की गई कि विद्वान अधिकरण, प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील में उठाये गये आधारों पर पुनः उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर विवाद्यक संख्या—4 बाबत् पुनः निर्णय पारित करें। उक्त आदेश की अनुपालना में विद्वान अधिकरण द्वारा दिनांक 15.06.2018 को उक्त विवाद्यक संख्या—4 की हद तक पुनः निर्णय करते हुए दावाकर्ता/याचीगण के पक्ष में कुल 37,84,936/— रुपये का अवार्ड मय ब्याज 07 प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाये जाने का आदेश किया गया। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से अपील संख्या—4710/2018, विद्वान अधिकरण के उक्त आदेश को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है तथा दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट्स की ओर से क्रॉस ऑब्जेक्शन (प्रत्याक्षेप) संख्या—31/2024, अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संस्थित की गयी अपील के विरुद्ध ''क्रॉस ऑब्जेक्शन'' लेते हुए अधिकरण द्वारा दिलवाई गयी क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

4. अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से प्रस्तुत **अपील संख्या—4710/2018** इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अधिकरण द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य का सम्यक रूप से विवेचन नहीं करते हुए गलत

RAJASTHAN HIGH COURT

निर्णय पारित किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम का यह भी तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की वार्षिक आय 6,87,156/– रुपये निर्धारित कर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक राजेन्द्र प्रसाद की विधवा पत्नी उसकी मृत्यु के पश्चात् पेंशन प्राप्त कर रही है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जावे। विकल्प में मृतक की भी योगदायी उपेक्षा तय की जाकर तद्नुसार क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/रेस्पोंडेट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर का तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की वार्षिक आय 8,69,586/– के स्थान पर 6,87,156/– रूपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/रेस्पोंडेट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर का एक तर्क यह भी रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की जाकर भी त्रुटि कारित की गई है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/रेस्पोंडेट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर का यह भी तर्क रहा है कि अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय पर भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी की मद में कोई भविष्य–वृद्धि नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता दावाकर्तागण/रेस्पोंडेट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर का इसके अतिरिक्त एक तर्क यह भी रहा है कि अधिकरण ने कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः उपरोक्त आधारों पर दावाकर्ता/रेस्पोंडेंट्स की ओर से संस्थित ''क्रॉस ऑब्जेक्शन'' (प्रत्याक्षेप) को स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की जावे।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अपील पत्रावली व अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संस्थित अपील संख्या–4710/2018, अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट्स की ओर से प्रस्तुत

RAJASTHAN HIGH COURT

क्रॉस ऑब्जेक्शन (प्रत्याक्षेप) संख्या–31/2024, अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

8. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से मृतक की आय निर्धारण के संबंध में ली गयी आपत्ति का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मृतक सारजेंट एयरफोर्स में कार्यरत था तथा जहां से वी.आर.एस. लेने के पश्चात् घटना से पूर्व मृतक बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थापित था। अधिकरण द्वारा मृतक की आय उसके वेतन प्रमाण पत्र प्रदर्श–9 में अंकित मूल वेतन 28,100/– रुपये, महंगाई भत्ता 28,788.45/– रुपये तथा शहरी भत्ता 375/– रुपये को सम्मिलित करते हुए मृतक की मासिक आय 57,263/– रुपये के आधार पर उसकी वार्षिक 6,87,156/– रुपये निर्धारित की है, जो उचित है, जिसे हम किसी प्रकार से अधिक होना नहीं पाते हैं। अतः इस संबंध में अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से ली गयी आपत्ति निरस्त की जाती है।

9. **<u>प्रत्याक्षेप संख्या–31/2024 :–</u>** विद्वान अधिकरण ने वक्त घटना मृतक की वार्षिक आय 6,87,156/– रुपये निर्धारित की है। जिसके संबंध में दावाकर्तागण/रेस्पोंडेट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर का तर्क रहा है कि मृतक पूर्व में सारजेंट एयरफोर्स में कार्यरत था तथा सारजेंट एयरफोर्स से वी.आर.एस. लेने के पश्चात् मृतक प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहा था तथा वी.आर.एस. के पश्चात् घटना से पूर्व मृतक बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थापित होकर प्रतिमाह नियमित वेतन प्राप्त कर रहा था। किन्तु अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित आय में मृतक की पेंशन को सम्मिलित नहीं किया जाकर त्रुटि कारित की गयी है। जबकि दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट क्रॉस ऑब्जेक्टर द्वारा मृतक की वित्तीय वर्ष 2014–2015 की आयकर विवरणी प्रदर्श–10 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें मृतक की कुल वार्षिक आय 8,69,586/– रुपये अंकित की गयी है। इस संबंध में इस न्यायालय का मानना यह है कि घटना से पूर्व मृतक सारजेंट एयरफोर्स में पदस्थापित था, जहां से वी.आर.एस. लेने के मृतक भारतीय स्टेट बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत होकर

नियमित वेतन प्राप्त कर रहा था। मृतक राजेन्द्र प्रसाद के सारजेंट एयरफोर्स से वी.आर.एस. लेने के पश्चात् उसे नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो रही थी जो पेंशन अब भी मृतक की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी को प्राप्त हो रही है। मृतक की पत्नी श्रीमती अल्का मीणा स्वयं गवाह ए.डब्ल्यू–1 के रूप में विद्वान अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एयर फोर्स से पेंशन उसे अब भी मिल रही है। ऐसी स्थिति में अधिकरण द्वारा मृतक की पेंशन को मृतक की आय में सम्मिलित नहीं करते हुए मृतक की वार्षिक आय 6,87,156/– रुपये निर्धारित की गयी है, उसे हम किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण होना नहीं पाते हैं तथा अधिकरण के उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा मृतक की यही आय हम निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित वार्षिक आय में भविष्य में होने वाली आय की बढ़ोतरी के मद में कोई भविष्य–वृद्धि नहीं की गयी है। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक को 60 वर्ष की आयु हो ना बताया गया है तथा मृतक के पेंशन आदेश प्रदर्श–20 में मृतक की जन्मतिथि 11.08.1954 होना अंकित की गयी है तथा घटना दिनांक 20.08.2014 की बताई गयी है, जिसके अनुसार वक्त घटना मृतक 60 वर्ष 09 दिन आयु का था। चूंकि वक्त घटना मृतक 60 वर्ष से अधिक की आयु का हो गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में केवलमात्र 60 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों की आय में भविष्य–वृद्धि किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के संबंध में भविष्य–वृद्धि किये जाने का कोई सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित नहीं किया गया है। इस प्रकार वक्त घटना मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने के कारण मृतक की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में कोई बढ़ोतरी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 6,87,156/– रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

10. वक्त घटना मृतक पर कुल चार आश्रित होना बताया गया है, जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की पत्नी तथा अपीलार्थी संख्या–2 लगायत 4 मृतक

की पुत्रियां हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी संख्या–4 ईशा जो कि मृतक की विवाहिता पुत्री है, उसे मृतक पर आश्रित नहीं माना गया है तथा वक्त घटना मृतक पर केवलमात्र उसकी पत्नी व दोनों अविवाहित पुत्रियों को आश्रित होना मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती की गयी है जो सही है। विद्वान अधिकरण के उक्त निष्कर्ष में हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। 6,87,156/– रुपये का 1/3 भाग 2,29,052/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित वार्षिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 4,58,104/– रुपये होती है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 9 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में 9 का गुणक प्रयोग किया गया है, जो सही प्रतीत होता है।

11. तद्नुसार मृतक की निर्धारित वार्षिक आय 4,58,104/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति 4,58,104 x 9 = 41,22,936/– रुपये होती है, जो दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट्स क्रॉस आब्जेक्टर प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में समस्त दावाकर्तागण को एकमुश्त 40,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। साथ ही **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में दी जाने वाली राशि में प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम**

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

(उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की पत्नी दावाकर्ता/रेस्पोंडेंट क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 48,000/– रुपये, मृतक के बच्चों दावाकर्ता/रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या–2 लगायत 4 को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में प्रत्येक को 48,000/– रुपये (कुल 1,92,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये की राशि दावाकर्तागण को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की बढोतरी करते हुए 18,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाई गयी है। अतः उक्त मद में हम **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार निर्धारित देय राशि पर प्रत्येक तीन वर्ष में दस प्रतिशत की बढोतरी करते हुए 18,000/– रुपये की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से जो अपील संस्थित की गयी है, उसमें लिये गये आक्षेप माने जाने योग्य नहीं हैं। अतः अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से संस्थित की गयी **सिविल विविध अपील संख्या–4710/2018** अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

16. उक्तानुसार दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर्स की ओर से संस्थित प्रत्याक्षेप संख्या–31/2024 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर दावाकर्तागण/रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	41,22,936/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	प्रत्येक दावाकर्तागण को 40,000/–रुपये, कुल 1,92,000/–

RAJASTHAN HIGH COURT सत्यमेव जयते

3.	अंतिम संस्कार के मद में	18,000 / —
4.	सम्पदा की हानि के मद में	18,000 / —
5.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	43,50,936 / — रुपये
6.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	37,84,936 / — रुपये
7.	बढ़ोतरी पश्चात् क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	5,66,000 / — रुपये

17. तदनुसार दावाकर्तागण / रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर्स की ओर से संस्थित प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) संख्या—31 / 2024 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट जिसके द्वारा कि दावाकर्तागण / रेस्पोंडेंट्स को 37,84,936 / — रूपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 43,50,936 / — रूपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। दावाकर्तागण / रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर्स द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि दावाकर्तागण / रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर्स प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

18. इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 25.10.2018 के अनुसार अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम को आदेश दिया गया था कि वह विद्वान अधिकरण द्वारा आदेशित सम्पूर्ण राशि अधिकरण के समक्ष जमा करवाए तथा जमा करवाई गई सम्पूर्ण राशि में से 50 प्रतिशत राशि का वितरण दावाकर्तागण / रेस्पोंडेंट्स को किया जाए तथा 50 प्रतिशत राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में एफ.डी.आर. के रूप में जमा रखी जावे। चूंकि इस न्यायालय द्वारा अपीलांट उत्तर प्रदेश राज्य पथ परिवहन निगम की अपील को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण के समक्ष जो 50 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि एफ.डी.आर. के रूप में जमा है, उसका भुगतान नियमानुसार दावाकर्तागण / रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर्स को कर दिया जावे।

19. इस आदेश द्वारा बढाई गयी क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से दावाकर्तागण / रेस्पोंडेंट्स क्रॉस ऑब्जेक्टर्स, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

20. तदनुसार उक्त प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) निस्तारित किया जाता है।

21. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को अविलम्ब लौटाया जावे।

22. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /9-10